न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 9/2018 ''A'' (डूंगरपुर आर्डर)

1. रमेश पुत्र दिता मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. गौतम पिता मीठालाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. शंकरलाल पिता मीठालाल मनात मीणा (मृतक) के बजाय :–

   3/1. सुमित्रा पिता शंकरलाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट

   3/2. अशोक पिता शंकरलाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट

   3/3. हिना पिता शंकरलाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट
4. हीरालाल पिता मीठालाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
5. मीठालाल पिता पेमजी मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कान्तिलाल पिता गौतम मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राज्य राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर, डूंगरपुर दिनांक
11–07–2018 प्रकरण सं. 10/16

———/———

उपस्थित :– 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाशक अपीलान्टगण
2– श्री ए. मंसूरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक

26—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थाणा के खसरा नंबर 319/1 में से वर्ष 1992 विपक्षी संख्या 1 को 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी, जिनका नवीन खसरा नंबर 4141/319/1 कायम हुआ। आवंटित भूमि पर मौके पर आज भी कब्जा आवंटी का नहीं है न ही उसे कभी कब्जा सिपुर्द किया गया। मौके पर 30 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थीगण का कब्जा होकर उसका पुराना मकान बना हुआ है, जिसमें वह अपने परिवार सहित निवास करता है तथा बाकी भूमि पर काश्त कर रहे हैं, किन्तु विपक्षी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त आवंटन करवा लिया गया है। वर्ष 2013 में विपक्षी द्वारा विवाद गया एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 22—07—2016 को निरस्त करा ली गयी, जिसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्ती का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे स्वीकार कर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

उक्त प्रकरण दर्ज होने पर विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया एवं मौका रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 11—07—2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24—08—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ए. मंसूरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर

से राजकीय पैरोकार उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा बताया कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के यहां वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलान्ट का कब्जा मानकर रेस्पोन्डेन्ट के वाद को खारिज किया गया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने न मानकर भूल की है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट में तहसीलदार ने भी कब्जा अपीलान्ट का माना है। वक्त आवंटन आवंटी कृषक नहीं था, उसके पिता राजस्व कर्मचारी होकर पटवारी के पद पर थे तथा रेस्पोन्डेन्ट अपने पिता पर आश्रित था, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा मिस रिप्रेजेन्टेशन एवं फ्रोस से उक्त आवंटन प्राप्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र कल्पना के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा वर्ष 2013 से होना मानकर भूल की है, जबकि वास्तविक रूप से कब्जा 30–40 वर्षो से अपीलान्टगण का चला आ रहा है। अतएवं अपील स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1207 एवं आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 269 की न्यायिक नजीरें प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने आवंटन विधिवत होना बताया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को वर्ष 1992 में आवंटन किया जाकर उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं तथा आवंटन पूर्व अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा रहा हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विस्तृत विवेचन करते हुए

अपीलान्ट/प्रार्थीगण का आवंटन निरस्ती का आवेदन खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–07–2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर